



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-03052023-245629
CG-DL-E-03052023-245629

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1923]

नई दिल्ली, मंगलवार, मई 2, 2023/वैशाख 12, 1945

No. 1923]

NEW DELHI, TUESDAY, MAY 2, 2023/ VAISAKHA 12, 1945

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 2 मई, 2023

का.आ. 2011(अ).—केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 4304, दिनांक 14/09/2022 जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित की गई थी, द्वारा मध्य प्रदेश राज्य के हरदा जिले में NH59A के कि.मी. 127 से कि.मी.142.445 (सब डिवीजनल आफिसर (रा.), हरदा, जिला-हरदा) तक के राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण (चोड़ाकरने / चार लेन का बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी ;

और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3क की उपधारा (3) के अधीन तारीख "22/09/2022 " को "दैनिक भास्कर " और "फ्रीप्रेस" दोनों में प्रकाशित किया गया था ;

और आक्षेप प्राप्त हुए थे और सक्षम प्राधिकारी ने उन पर विचार कर लिया है और आक्षेपों को अननुज्ञात कर दिया है ;

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है ;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए ;

और अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर, उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी ।

अनुसूची

मध्य प्रदेश राज्य के हरदा जिले में NH59A के कि.मी. 127 से कि.मी.142.445 (सब डिवीजनल आफिसर (रा.), हरदा, जिला-हरदा) के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना सहित अथवा संरचना रहित विवरण।

राज्य का नाम: मध्य प्रदेश		जिले का नाम: हरदा			
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूस्वामी/हितबद्ध व्यक्तियों का नाम
1	2	3	4	5	6
	तालुक का नाम: हरदा				
	गांव का नाम: पिडगाँव				
1	18/2, 18/14, 18/15, 18/16, 18/17	निजी	सिंचित	0.5244	शिवराम पिता रघुनाथ (18/2, 18/14, 18/15, 18/16, 18/17)
2	18/5, 18/11	निजी	सिंचित	0.39	जगदीश पुत्र शिवराम (18/5, 18/11)
3	2/17, 5/8	निजी	सिंचित	0.1861	प्रदीप कुमार पुत्र हरीप्रसाद बंसल (2/17, 5/8)
4	33/2/1	निजी	सिंचित	0.089	आलोक पुत्र पन्नालाल (33/2/1)
5	33/3/2	निजी	सिंचित	0.066	राकेश पुत्र पन्नालाल (33/3/2)
6	38/3, 33/8, 34/4	निजी	सिंचित	0.0227	प्रभुराम पुत्र रामकरण लाल (38/3, 33/8, 34/4)
7	39/3, 32/3, 40/3	निजी	सिंचित	0.1618	आनंद पुत्र जगदीश (39/3, 32/3, 40/3)
8	39/4, 40/4	निजी	सिंचित	0.1618	नरेन्द्र पुत्र जगदीश (39/4, 40/4)
9	39/5	निजी	परिवर्तित	0.0971	अजित पिता श्यामसुंदर, वेदांत पुत्र अजित (39/5)
10	5/11	निजी	सिंचित	0.1699	वैभव पुत्र प्रमोद कुमार उर्फ दीपक कुमार बंसल (5/11)

11	8/3	निजी	सिंचित	0.104	राजवीर पुत्र महेश (8/3)
12	8/6	निजी	सिंचित	0.0656	प्रेमनारायण पुत्र जगदीश (8/6)
13	8/7	निजी	सिंचित	0.0652	संजय कुमार नाबालिक पुत्र परमानंद (8/7)
14	9/1/1/1	निजी	परिवर्तित	0.117	राहुल पुत्र रामबाबू (9/1/1/1)
15	9/1/2	निजी	परिवर्तित	0.007	मृत्युंजय पुत्र एकनाथ (9/1/2)
16	9/1/4/1	निजी	परिवर्तित	0.031	अनामिका पत्नी सोनल (9/1/4/1)
17	9/1/4/2	निजी	परिवर्तित	0.044	नीरज पिता गिरवरलाल (9/1/4/2)
18	9/1/4/3	निजी	परिवर्तित	0.031	सत्यम पिता श्याम (9/1/4/3)
19	9/10	निजी	परिवर्तित	0.2162	जगदीश प्रसाद पिता बाबूलाल (9/10)
20	9/12	निजी	परिवर्तित	0.0878	श्रद्धा पत्नी अनुराग, रूपा पत्नी संजय (9/12)
21	9/5	निजी	परिवर्तित	0.1454	सोमिल पिता गोपाल (9/5)
22	9/6	निजी	परिवर्तित	0.0363	गणेश पिता प्रेमनारायण (9/6)
23	9/7	निजी	परिवर्तित	0.0363	दिनेश पिता प्रेमनारायण (9/7)
24	9/8	निजी	परिवर्तित	0.0363	राजवीर पिता महेश (9/8)
25	9/9	निजी	परिवर्तित	0.0363	महेश पिता जगदीश (9/9)
			कुल	2.9282	

[फा. सं. NHAI/LA/2017/3(a)-Notif/PIU-Indore/3D2]

अभय जैन, उप सचिव

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 2nd May, 2023

S.O. 2011(E).— Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways, 4304, Date 14.09.2022 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) issued under sub-section (1) of section 3A of the National Highway Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intension to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification for building (widening/four-laning, etc.), maintenance, management and operation of NH59A on the stretch of land from Km 127 to Km 142.445 (Sub Divisional Officer (R), Harda, District-Harda) in the district of HARDA in the state of MADHYA PRADESH

And whereas the substance of the said notification has been published in “Dainik Bhaskar” and “Free Press” both dated 22.09.2022; under sub-section (3) of section 3A of the said Act;

And whereas objections have been received and the same have been considered and disallowed by the competent Authority;

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 3D of the said Act, the competent authority has submitted its report to the Central Government;

Now, therefore, upon receipt of the said report of the competent authority and in exercise of the powers conferred by the sub-section (1) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of sub-section (2) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the said Schedule shall vest absolutely in the Central Government, free from all encumbrances.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired, with or without structure, falling within the NH59A in the stretch of land from NH59A (Sub Divisional Officer (R), Harda, District-Harda) in the district of HARDA in the state of MADHYA PRADESH.

State: MADHYA PRADESH			District: HARDA		
Sl. No.	Survey Number	Type of Land	Nature of Land	Area in Hectare	Name of the Land Owner/Interested Person Part Survey No:
1	2	3	4	5	6
	Taluk: Harda				
	Village: Pidgaon				
1	18/2, 18/14, 18/15, 18/16, 18/17	Private	Irrigated	0.5244	Shivram S/o Raghunath 18/2, 18/14, 18/15, 18/16, 18/17
2	18/5, 18/11	Private	Irrigated	0.39	Jagdish S/o Shivram 18/5, 18/11
3	2/17, 5/8	Private	Irrigated	0.1861	Pradeep Kumar S/o Hariprasad Bansal 2/17, 5/8
4	33/2/1	Private	Irrigated	0.089	Alok S/o Pannalal 33/2/1
5	33/3/2	Private	Irrigated	0.066	Rakesh S/o Pannalal 33/3/2
6	38/3, 33/8, 34/4	Private	Irrigated	0.0227	Prabhuram S/o Ramkaran Lal 38/3, 33/8, 34/4
7	39/3, 32/3,	Private	Irrigated	0.1618	Anand S/o Jagdish

	40/3				39/3, 32/3, 40/3
8	39/4, 40/4	Private	Irrigated	0.1618	Narendra S/o Jagdish 39/4, 40/4
9	39/5	Private	Diverted	0.0971	Ajit Bansal S/o Shyamsundar, Vedant S/o Ajit 39/5
10	5/11	Private	Irrigated	0.1699	Vaibhav S/o Pramod Kumar Urf Deepak Kumar Bansal 5/11
11	8/3	Private	Irrigated	0.104	Rajveer S/o Mahesh 8/3
12	8/6	Private	Irrigated	0.0656	Premnarayan S/o Jagdish 8/6
13	8/7	Private	Irrigated	0.0652	Sanjay Kumar Minor S/o Pramanand 8/7
14	9/1/1/1	Private	Diverted	0.117	Rahul S/o Rambabu 9/1/1/1
15	9/1/2	Private	Diverted	0.007	Mrityunjay S/o Eknath 9/1/2
16	9/1/4/1	Private	Diverted	0.031	Anamika W/o Sonal 9/1/4/1
17	9/1/4/2	Private	Diverted	0.044	Neeraj S/o Girwarlal 9/1/4/2
18	9/1/4/3	Private	Diverted	0.031	Satyam S/o Shyam 9/1/4/3
19	9/10	Private	Diverted	0.2162	Jagdish prasad S/o Babulal 9/10
20	9/12	Private	Diverted	0.0878	Shradha W/o Anurag, Roopa W/o Sanjay 9/12
21	9/5	Private	Diverted	0.1454	Somil S/o Gopal 9/5
22	9/6	Private	Diverted	0.0363	Ganesh S/o Premnarayan 9/6
23	9/7	Private	Diverted	0.0363	Dinesh S/o Premnarayan 9/7
24	9/8	Private	Diverted	0.0363	Rajveer S/o Mahesh 9/8
25	9/9	Private	Diverted	0.0363	Mahesh S/o Jagdish 9/9
			TOTAL	2.9282	

[F. No. NHAI/LA/2017/3(a)-Notif/PIU-Indore/3D2]

ABHAY JAIN, Dy. Secy.